कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/सी–1/स्थानांतरण/अंग्रेजी/2019–20 दिनांक–29.09.2019 के तहत् श्रीमती संगीता शेखावत व्याख्याता, अंग्रेजी, राउमावि मीनावाला, झोंटवाड़ा जयपुर का स्थानांतरण राउमावि साखून, दूदू, जयपुर किया गया। श्रीमती संगीता शेखावत द्वारा स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जोधपुर में अपील संख्या 499/2019 श्रीमती संगीता शेखावत बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 499/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.10.2019 द्वारा याचिकार्थी श्रीमती संगीता शेखावत को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक आख्यात्मक आदेश (SPEAKING ORDER) द्वारा निर्धारित समय सीमा में निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय न्यायालय निर्णय के तहत याचिकार्थी श्रीमती संगीता शेखावत द्वारा दिनांक 04.11.2019 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। श्रीमती संगीता शेखावत द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि इन्हें वर्तमान पद पर कार्य करते हुए मात्र एक वर्ष हुआ है व इससे पहले की समस्त शैक्षिक सेवा ग्रामीण क्षेत्र की है। वर्तमान में अपीलार्थी राजस्थान विश्वविद्यालय में शोधार्थी है। अपीलार्थी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण स्थानान्तरित स्थान पर जाने में असमर्थ है। इनके द्वारा राउमावि कालवाड़ जयपुर में पदस्थापित करने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरागंना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया हैं। याचिकार्थीया द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। श्रीमती संगीता शेखावत द्वारा स्थानान्तरित स्थान पर दिनांक 04.11.2019 को कार्यग्रहण कर लिया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा अन्यत्र समायोजन की मांग तर्क संगत नहीं है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों।

(हिमांशु गुप्ता)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–1/अंग्रेजी/अपील सं.499/संगीता शेखावत/2019/ दिनांकः– 20.12.2019

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, जयपुर
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्राधानाचार्य
9. संबंधित कार्मक
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर